फार्म नं.– III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

न्यायालय **जिला कलक्टर** **मुकाम** **अनूपगढ़**

ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. **बनाम** मांगीलाल आदि

अन्तर्गत धारा 14 SARFAESI ACT नम्बर 308 सन् 2023

जी.सी.एम.एस. आईडी :2023 / 521

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
17.11.2023	ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. शाखा श्रीगंगानगर जरिये अधिकृत अधिकारी की ओर से अधिवक्ता श्री तिलकराज चुघ द्वारा वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी की सम्पति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक या उसके प्राधिकृत व्यक्ति को दिलवाए जाने हेतु पुलिस सहायता उपलब्ध करवाने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते सुनवाई आईन्दा दिनांक 11.12.2023 को पेश हो। (कल्पना अग्रवाल) जिला कलक्टर अनूपगढ	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpana A
Date: 2024.01.06 14:26:45 IS
Reason: SelfAttested

प्र.सं. 308 / 2023 (GCMS नं.: 2023 / 521)
ए.यू. स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. बनाम मांगीलाल आदि
अन्तर्गत धारा 14 SARFAESI Act.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
11.12.2023	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी बैंक से **अप्रार्थीगण ऋणि मांगीलाल पुत्र हेतराम एवं सुनीता देवी पत्नी मांगीलाल ने दिनांक 19.03.2021 को एग्रीमेंट फॉर लोन एण्ड गारण्टी के तहत राशि 2,00,000 / – रूपये(अखरे दो लाख रूपये)** का ऋण लिया था। **ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सुनीता देवी पत्नी मांगीलाल ने अपनी सम्पत्ति पट्टा नं. 75 बुक नं. 73 चक 12 बी.एल.एम. ए ग्राम पंचायत बिलोचिया, श्रीविजयनगर साईज 2700 स्कवायर फीट को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखा था।** अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया, जिस कारण उनका **ऋण खाता दिनांक 09.07.2023 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है।** अप्रार्थी ऋणी के खाता में दिनांक 11.07.2023 तक राशि 2,11,656 / –रूपये शेष व देय निकलते हैं, जिसके भुगतान हेतु अप्रार्थीगण जिम्मेदार हैं। प्रार्थी द्वारा **अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 14.07.2023 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। जो अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गया। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया हैं, ना ही नोटिस का कोई जवाब प्रेषित किया हैं।** इसलिए अप्रार्थी सुनीता देवी द्वारा प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी **सम्पत्ति पट्टा नं. 75 बुक नं. 73 चक 12 बी.एल.एम. ए ग्राम पंचायत बिलोचिया, श्रीविजयनगर साईज 2700 स्कवायर फीट** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे। मैंने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। **वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस की तामील संबंधित ऋणियों / जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।** पत्रावली में उपलब्ध प्राथी के प्रार्थना पत्र ध[illegible] शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन [illegible] तो पाया कि प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को **2,00,000 / – रूपये(अखरे दो लाख रूपये)** की ऋण राशि [illegible] 19.03.2021 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अ[illegible] ऋणी सुनीता देवी द्वारा अपनी **सम्पत्ति पट्टा नं. 75 बुक नं. 73 चक 12 बी.एल.एम. ए, ग्राम पंचायत बिलोचिया, श्रीविजयनगर साईज 2700 स्कवायर फीट** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। उक्त सम्पत्ति इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार जिला अनूपगढ में स्थित हैं। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन मे प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक **09.07.2023 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 14.07.2023	

जिला कलक्टर अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpana Agrawal
Date: 2024.01.06 14:26:45 IST
Reason: SelfAttested